<u>**जनपद बाराबंकी**</u>

दिनांक 30.09.2020

पुलिस अधीक्षक बाराबंकी द्वारा जनपद में बालश्रम रोकने हेतु माह सितम्बर में चलाए गए नो चाइल्ड लेबर अभियान के तहत कुल 64 बाल श्रमिकों को रेस्क्यू कर विधिक कार्यवाही की गई-

पुलिस अधीक्षक बाराबंकी डॉ0 अरविन्द चतुर्वेदी द्वारा जनपद में बालश्रम रोकने हेतु चलाए जा रहे नो चाइल्ड लेबर अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी श्री आर. एस. गौतम के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर सुश्री सीमा यादव के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 30.09.2020 को प्रभारी निरीक्षक एएचटीयू श्रीमती शमानाज सिद्दीकी मय टीम, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, चाइल्ड लाइन अधिकारी बाराबंकी द्वारा जनपद के थाना जैदपुर क्षेत्रान्तर्गत होटल, ढ़ाबा, दुकानों, ईंट भट्ठों आदि पर श्रमिक बच्चों की तलाश करते हुए लोगों को जागरूक किया गया। इसी क्रम में थाना जैदपुर क्षेत्रान्तर्गत रॉयल इनफील्ड अनस आटो सर्विस जैदपुर, मो0 रईस-मो0 मईन-मो0 फर्नीचर जैदपुर, जय अम्बे टी स्टाल थाना जैदपुर, किशोर साइकिल स्टोर जैदपुर प्रतिष्ठानों से कुल 04 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया एवं सेवायोजक/निरीक्षित के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गई।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 01.09.2020 से 30.09.2020 तक (माह सितम्बर) में नो चाइल्ड लेबर अभियान के तहत कुल 64 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया एवं सेवायोजक/निरीक्षित के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गई।